कार्यालय कलेक्टर,आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई–मेल – actwd.balod@gmail.com

–:: ज्ञापन ::–

क्र./1131 /आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2020 बालोद दिनांक 15-10-2020

प्रति,

सहायक संचालक,
जनसंपर्क विभाग बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन एवं स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बाबत्।

संदर्भ :– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर का पत्र क्र/आ.ला.पो.मे.छा./118/2020–21/4556 रायपुर दिनांक 07.10.2020

— :: 00 ::—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत विज्ञप्ति को जिला स्तरीय दो बहुप्रचारित समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे, जिससे जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले अनु.जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यो/संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके।

संलग्न :– विज्ञप्ति।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद
जिला–बालोद(छ.ग.)

पृ.क्र/1131A/आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2020 बालोद दिनांक 15-10-2020

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ।
2. अग्रणी प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त बालोद,जिला बालोद को सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय को सूचित करने हेतु।
3. प्राचार्य शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालोद को सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय आईटीआई को सूचित करने हेतु।
4. प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/नर्सिक कालेज/पॉलीटेक्निक कालेज /आई.टी.आई...जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15/10/20

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद
जिला–बालोद(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई–मेल – actwd.balod@gmail.com

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

क्र/1132/आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2020 बालोद दिनांक 15.10.2020

वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन हेतु विज्ञप्ति

बालोद जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कालेज जिनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2020–21 में भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS** वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की गई है'–

क्र	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु(नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 15.10.2020 से 30.11.2020 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 15.10.2020 से 10.12.2020 तक
3	Senction Order Lock करने हेतु	दिनांक 15.10.2020 से 20.12.2020 तक
4	KYC जमा करने हेतु	दिनांक 10.01.2021 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2020–21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Praposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

15/X/20

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद
जिला–बालोद(छ.ग.)